92

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण कमांक : 1969-एक/2007 निगरानी - विरूद्ध आदेश दिनांक 25-9-07 - पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्र0क0 222/05-06 अपील

वृजविहारी सोनी पुत्र शंभूप्रसाद सोनी
ग्राम सेमरिया तहसील गोपदबनास
जिला सीधी मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

श्रीमती देवकली पत्नि लल्लूप्रसाद सोनी
ग्राम सेमरिया तहसील गोपाद बनास
जिला सीधी मध्य प्रदेश ---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री डी0एस0चौहान)
(अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित- एकपक्षीय)

आ दे श
(आज दिनांक 17-07-2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 222/05-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 25-9-07 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक ने अतिरिक्त तहसीलदार, तहसील गोपाद बनास के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 250 के अंतर्गत आवेदक पर दावा प्रस्तुत कर मांग की कि आवेदक ने उसके स्वामित्व की ग्राम सेमरिया स्थित भूमि सर्वे कमांक 91/2 रकबा 0.08 है. के अंश-भाग, सर्वे कमांक 95/3 रकबा 0.20 है. पर अतिकमण कर लिया है ,

इसलिये उसे बेदखल किया जाकर कब्जा दिलाया जावे। अतिरिक्त तहसीलदार, तहसील गोपाद बनास ने प्रकरण क्रमांक 44 अ 70/2003-04 पॅजीबद्ध किया तथा उभय पक्ष की सुनवाई कर आदेश दिनांक 28-2-2003 पारित करके कब्जा की गई भूमि पर से बेदखली के आदेश दिये । आवेदक ने अतिरिक्त तहसीलदार, तहसील गोपाद बनास के आदेश दिनांक 28-2-2003 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, गोपद बनास के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी गोपद बनास ने प्रकरण क्रमांक 31/2003-04 अपील में पारित आदेश दिनांक 16-5-2005 से अपील अवधिवाह्य प्रस्तुत होने से निरस्त कर दी। आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी गोपद बनास के आदेश दिनांक 16-5-2005 के विरूद्ध अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण क्रमांक 222/05-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 25-9-07 से अपील निरस्त कर दी। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि अतिरिक्त तहसीलदार, तहसील गोपाद बनास के आदेश दिनांक 28-2-2003 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रमाणित प्रतिलिपि मिलने के उपरांत दिनांक 28-4-04 को अपील की गई थी तथा अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन में विलम्ब का समुचित कारण दर्शाया था जिसे स्वीकार न करने में अनुविभागीय अधिकारी ने भूल की है। अति. तहसीलदार ने आवेदक को साक्ष्य एंव सुनवाई का अवसर नहीं दिया जिसके कारण उनका आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है इस पर अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने आदेश दिनांक 25-9-07 पारित करते समय ध्यान नहीं दिया है इसलिये निगरानी स्वीकार की जाकर तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जॉय।

5/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अतिरिक्त तहसीलदार, तहसील गोपाद बनास ने आदेश दिनांक 28-2-2003 के पद 2, 3 में इस प्रकार विवरण अंकित

किया है :-

" प्रकरण दर्ज किया जाकर अनावेदक तलबी एंव दस्तावेजी साक्ष्य हेतु आदेशित किया गया। प्रकरण में अनावेदक उप. होकर जवाव दावा पेश किया है। अनावेदक का अवसर समाप्त किया गया। आवेदिका के कथन एंव उसके साक्षी वद्रीप्रसाद के कथन कराये जाकर आवेदिका साक्ष्य समाप्त की गई। "

विचार योग्य है कि जब विचारण न्यायालय में आवेदक ने अन्य लेखी/मौखिक दस्तावेज प्रस्तुत करने की मांग नहीं की है जबकि अति0 तहसीलदार ने आवेदक को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया है। आवेदक ने उपस्थित होकर जवाव दावा प्रस्तुत किया है यदि उसे अन्य प्रकार की साक्ष्य प्रस्तुत करना थी, तब उसका दायित्व था कि वह अति. तहसीलदार से तदाशय की मांग करता, और जो मांग अधीनस्थ न्यायालय में नहीं उठाई गई , उस मांग को वरिष्ठ न्यायालय में उठाकर अनुतोष की अपेक्षा पर विचार करने का औचित्य नहीं है।

6/ जहां तक अनुविभागीय अधिकारी गोपद बनास व्दारा आदेश दिनांक 16-5-2005 से अपील अवधिवाह्य प्रस्तुत होने से निरस्त करने का प्रश्न है? विचार करने पर स्थिति यह है कि अतिरिक्त तहसीलदार, तहसील गोपाद बनास का आदेश दिनांक 28-2-2003 को पारित हुआ है एंव अति. तहसीलदार के समक्ष आवेदक पैरवी के दौरान उपस्थित रहा है, उसका दायित्व था कि वह न्यायालय में समय पर उपस्थित रहकर आदेश की जानकारी प्राप्त करता। इस प्रकार अतिरिक्त तहसीलदार, तहसील गोपाद बनास के आदेश दिनांक 28-2-2003 के विरूद्ध दिनांक 28-4-04 को प्रस्तुत हुई अपील एक वर्ष के विलम्ब के अंतराल पर है।

1. **भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 - जब किसी पक्षकार को बहुमूल्य अधिकार प्राप्त हो गए हों तब विलम्ब से की गई अपील/निगरानी अवधि वाधित है और ऐसा विलम्ब एक वर्ष भी अयुक्तियुक्त है।**
2. **भू राजस्व संहिता, 1959 - धारा 47 एंव परिसीमा अधिनियम 1963 - धारा-5 कार्यवाही में अनुपस्थित व काउंसेल से संपर्क का प्रयास नहीं किया गया - मामले के प्रचलन के विषय में जांच का प्रयास नहीं किया जाना - विलम्ब के लिये माफी के संदर्भ में सद्भाविक नहीं माना जावेगा। (लंगरी बनाम छोटा 1992 रा.नि. 289 J.L.J. 69 से अनुसरित)**

उपरोक्त से परिलक्षित है कि अनुविभागीय अधिकारी गोपद बनास

द्वारा आदेश दिनांक 16–5–2005 से लिया गया निर्णय उचित है जिसके कारण अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण क्रमांक 222/05–06 अपील में पारित आदेश दिनांक 25–9–07 में अनुविभागीय अधिकारी गोपद बनास के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 16–5–2005 में निकाले गये निष्कर्ष एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग , रीवा द्वारा आदेश दिनांक 25–9–07 में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 222/05–06 अपील में पारित आदेश दिनांक 25–9–07 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर